न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 04/2022(जी.सी.एम.एस.2022/120)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1.पृथ्वी सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. अमरवीर सिंह पुत्र जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. प्रेमपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. तेजा सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. दिलराज सिंह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. बलजिन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 7. बली सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 8. बीकर सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 9. मेजर सिंह पुत्र गुजर सिह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 10. सुखपाल सिंह पुत्र हरनेक सिह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 11. सरदूल सिंह पुत्र गुजर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 12. हरनेक सिंह पुत्र नाजर सिह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 13. हरनेक सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
तारीख रजू:–18.05.2022

उपस्थित: 1.श्री जसविन्द सिंह चीमा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री पलविन्द सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2,3

—निर्णय— दिनांक :20.06.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवान पृथ्वी सिंह बनाम जलन्धर सिंह आदि प्रकरण संख्या 09/2020 धारा अन्तंगत 251ए आरटीए का निर्णय दिनांक 08.12.2021 को किया गया था। इस निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील पेश की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकरण इस आदेश के साथ रिमांड किया कि अपीलांट जलन्धर सिंह, अमरवीर सिंह, प्रेमपाल सिंह व रेस्पोडेन्ट पृथ्वी सिंह के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.03.2022 के आधार पर निर्णय पारित कर रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से प्रकरण रिमांड होने पर प्रकरण नए नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। दोनो पक्षों के अधिवक्तागण को सूचित किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.03.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकार किया जावे, तो हमें कोई एतराज नहीं है।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.03.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकार किए जाने बाबत निवेदन किया है। लिहाजा उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.03.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.03.2022 के अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 में बनी खाले व डिग्गी के मध्य से उतर से दक्षिण दिशा में 0.020 हेक्टैयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 की प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि जमा हो तो समायोजित की जाकर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उसके बाद रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

<u>पृथ्वी सिंह बनाम जलन्धर सिंह आदि</u>
<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए,</u>
<u>प्रकरण संख्या 04/2022</u>

पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

फोन नं:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2022/350 **दिनांक :-20.06.2022**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 04/2022 अनवान पृथ्वी सिंह आदि बनाम जलन्धर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 20.03.2022 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.03.2022 के अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 26 तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 में बनी खाले व डिग्गी मध्य से उतर से दक्षिण दिशा में 0.020 हेक्टैयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के निर्देश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 1 की प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि जमा हो तो समायोजित की कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उसके बाद रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर